निर्णय ब इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या : 654/2025 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. पांचू पुत्र रामनाथ,
2. कजोड़ पुत्र रामनाथ,
3. गीता देवी पत्नी पांचूराम,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम रामपुरा तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. पीठासीन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।
2. मंजू देवी पत्नी शंकर,
3. शंकर पुत्र रामनाथ,
4. लालाराम पुत्र रामनाथ,
5. ज्योति पुत्री मदन,
6. पूजा पुत्री मदन,
7. पिंकी पुत्री मदन,
8. राहुल पुत्र मदन,
9. सुनील पुत्र मदन,
10. सीता देवी पत्नी मदन,
11. सीमा पुत्री मदन,

    समस्त जातियान माली, निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।

12. रामनाथ पुत्र भूरा (फौत),

    12/1. मदन पुत्र रामनाथ (फौत),

    12/2. मंगली देवी पुत्री रामनाथ (फौत),

    12/2/1. गोपाल पुत्र मंगली देवी (नाम हजफ),

    12/2/2. महेन्द्र पुत्र मंगली देवी(फौत),

    12/2/2/1. मीना पत्नी महेन्द्र,

    12/2/2/2. पायल पुत्री महेन्द्र,

    12/2/2/3. राहुल पुत्र महेन्द्र,

    12/2/2/4. संतोष पुत्र महेन्द्र,

    12/2/3. विनोद पुत्र मंगली देवी,

    12/2/4. राधेश्याम पुत्र मंगली देवी,

    12/2/5. फूली देवी पुत्री मंगली देवी,

    12/2/6. मीरा देवी पुत्री मंगली देवी(नाम हजफ),

    12/2/7. ओमा देवी पुत्री मंगली देवी,

    12/2/8. कस्तूरी देवी पुत्री मंगली देवी,

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

12/2/9. नीमा देवी पुत्री मंगली देवी (नाम हजफ),

12/2/10. कमला देवी पुत्री मंगली देवी,

समस्त जातियान माली निवासी टीबा वाली ढ़ाणी, ग्राम अचरोल, तहसील आमेर, जिला जयपुर।

12/3 सेडी देवी पुत्री रामनाथ, जाति माली निवासी रायसिंह का बास, तहसील चौमूं, जयपुर (नाम हजफ),

12/4 लाडा देवी पुत्री रामनाथ, जाति माली निवासी जोडला पावर हाऊस, तहसील रामपुरा डाबड़ी, जिला (नाम हजफ),

13. रामेश्वर पुत्र महादेव,
14. हरिनारायण पुत्र महादेव,
15. छाजूराम पुत्र महादेव,

समस्त जाति माली, निवासी ग्राम रामपुरा, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।
17. उप पंजीयक, तहसील रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 आर.टी.एक्ट 1955 बाबत उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 89/2025 ब उनवानी मंजू देवी बनाम शंकर व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री हरि नारायण, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री रमेश कुमार सैनी, अधिवक्ता, अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय दिनांक 14.10.2025

संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण संख्या 89/2025 ब उनवानी मंजू देवी बनाम शंकर व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबड़ी, जिला जयपुर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री रमेश कुमार सैनी ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विचाराधीन है। वाद विभाजन

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

का बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन चाहा गया। दिनांक 20.09.2025 को न्यायालय द्वारा तहसीलदार रामपुराडाबड़ी को कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, उसकी पालना में तहसीलदार न तो मौके पर उपस्थित हुए ना ही उभयपक्षों की उपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की गई एवं मौका कब्जे के विपरीत कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार की जाकर प्रार्थीगण को बिना सूचना व सुनवाई के ही न्यायालय में प्रस्तुत कर दी गई, जिसकी जानकारी प्रार्थी को दिनांक 17.09.2025 को तारीख पेशी पर उपस्थित होने पर हुई। पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रार्थी को बहस किए जाने हेतु दबाव बनाया गया और कहा गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है आप आज ही प्रकरण में अंतिम बहस करे, जिस पर प्रार्थीगण एवं उसके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से निवेदन किया गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट आज दिनांक को ही न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुई है प्रार्थी को कुर्रेजात रिपोर्ट के ऊपर आपत्ति प्रस्तुत करनी है, उसके बावजूद भी पीठासीन अधिकारी द्वारा बहस करने हेतु दबाव बनाया गया। काफी जिद बहस के उपरांत दिनांक 24.09.2025 बहस हेतु नियत की गई, जबकि पत्रावली वास्ते आपत्ति कुर्रेजात रखी जानी थी। प्रार्थी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट नकल प्राप्त करने हेतु शाम 4 बजे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय में गया तब अप्रार्थी संख्या 2 के पति पीठासीन अधिकारी चेम्बर से हंसते हुआ निकला और बाहर उसे दो तीन व्यक्ति और भी खडे थे, जिसने उनको कहा कि दिनांक 24.09.2025 को निर्णय व डिक्री अपने पक्ष में हो जाएगा। यह वाक्यात सुनने के पश्चात प्रार्थी को संदेह था कि वादीया पीठासीन अधिकारी से एवं तहसीलदार रामपुरा डाबड़ी से मेलजोल साज करके मुझ प्रार्थी की कब्जेशुदा भूमि को हड़पने एवं उससे बेदखल करने की नीयत से मुझ प्रार्थी की अनुपस्थिति में कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर न्यायालय में प्रेषित की गई। इस प्रकार तहसीलदार एवं पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से स्पष्ट हो चुका था कि पीठासीन अधिकारी वादीया मंजू देवी के प्रभाव में है और उसके पक्ष में निर्णय करने हेतु पूर्वाग्रसित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है, अतः अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद को अन्य समकक्ष न्यायालय में अन्तरित करने के आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी ने प्रकरण का निस्तारण में विलम्ब किये जाने की मंशा से काल्पनिक, मिथ्या व मनगढ़न्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस मुन्तकिल प्रार्थना को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी रामपुराडाबड़ी ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुए अंकित किया गया है कि सभी पक्षकारों को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में विधि अनुसार ही कार्यवाही की जा रहीं है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुंतकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें कोई बल नहीं पाते है। दौराने सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नही पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुंतकिल किया जाए। प्रार्थी द्वारा प्रकरण मे कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही किए गए है और ना ही प्रार्थी द्वारा

जिला कलक्टर
जयपुर

मुंतकिल प्रार्थना पत्र में पीठासीन अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में लम्बित प्रकरण को स्थानान्तरित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner